न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 454/2023 (2023/925)

अपीलार्थीया :–

श्रीमती भंवरी पुत्री स्व. मांगीलाल पत्नी ढगलाराम जाति सुथार, निवासी बोयल, हाल निवासी साथिन तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. नरपत राम पुत्र स्व. गंगाराम,
2. प्रकाश पुत्र स्व. गंगाराम,
   जातियान् सुथार, निवासीगण बोयल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
3. श्रीमती सीता पुत्री स्व. गंगाराम, पत्नी सुगनाराम जाति सुथार, निवासी सालवा, पीपाड़ रोड़ जोधपुर।
4. श्रीमती कंचन पुत्री स्व. गंगाराम, पत्नी रामस्वरूप, जाति सुथार, निवासी साथिन, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
5. श्रीमती जसोदा पुत्री स्व. गंगाराम पत्नी पुखराज, जाति सुथार, निवासी कुड़की, तहसील रीया, जिला नागौर।
6. रामरख पुत्र स्व. किशनाराम
7. घेवर राम पुत्र स्व. किशनाराम
8. भागीरथ पुत्र स्व. किशनाराम
9. रामप्रसाद पुत्र स्व. किशनाराम
   जातियान् सुथार, निवासीगण बोयल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।
11. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोयल, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 940 मौजा बोयल जो दिनांक 21.05.1992 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री बी.एस. भंवरीया (अपीलार्थीया)।
2. अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत (प्रत्यर्थी संख्या 4, 6, 7 व 8)।
3. अधिवक्ता श्री जयकिशन सुथार (प्रत्यर्थी संख्या 9)।
4. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 10 व 11 [illegible] बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:23 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—   दिनांक :— 22.04.2024

अपीलार्थीया ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 940 मौजा बोयल जो दिनांक 21.05.1992 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया के पिता की पैतृक कृषि भूमि ग्राम बोयल तहसील बिलाड़ा में आई हुई है। अपीलार्थीया के दादा किशनाराम के फौत होने के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया तथा उनके द्वारा राजस्व अभियान में बंटवाड़ा पेश किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार बिलाड़ा के आदेश क्रमांक रा.अभि./55 दिनांक 18.06.1981 के अनुसार बंटवाड़ा नामान्तरकरण संख्या 862 स्वीकृत किया गया। उक्त बंटवाड़े के अनुसार खसरा नंबर 538/1 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 541 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरान् 2 कुल रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा अपीलार्थीया के पिता मांगीलाल के हिस्से में आये। इसके अतिरिक्त ग्राम बोयल के खसरा संख्या 467 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा संयुक्त हिस्से में गंगाराम, रामरख, घेवर राम, रामप्रसाद, मांगीलाल व भागीरथ के हक में संयुक्त रूप से रखे गये। अपीलार्थीया के पिता मांगीलाल का वर्ष 1992 को देहांत हो गया। अपीलार्थी के पिता का देहांत होने से पूर्व अपीलार्थीया की माता श्रीमती बिदामी का भी देहांत हो चुका था। अपीलार्थीया स्वर्गीय मांगीलाल की एकमात्र जायंदा पुत्री है, परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व पटवारी हल्का बोयल द्वारा बिना जांच किये मांगीलाल को लाऔलाद फौत बताकर अपीलार्थी की दादी श्रीमती प्रेमीदेवी के हक में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथीत होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 4, 6, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत तथा प्रत्यर्थी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन सुथार ने वकालतनाम पेश किया। शेष प्रत्यर्थी नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार पीपाड़ शहर से तलब किया गया। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 26[illegible] को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 22.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीया को उक्त नामान्तरकरण भरे जाने की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब वह वर्ष 2015 जून माह में खेत में सूड़ कर रही थी तो अप्रार्थी नरपतराम व रामरख ने प्रार्थीया को बतलाया कि उक्त भूमि हमारी है, तुम यहां क्या कर रही हो? प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की, जिससे ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी 1 से 9 ने प्रार्थीया के पिता के नाम की आराजी को अपने नाम करवा दिया। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के द्वारा किये गये तथ्यों की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20.07.2015 को हुई। जानकारी होने पर प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी। इस कारण जानकारी की दिनांक से अपील अंदर म्याद है। जो देरी हुई है उसका कारण सद्भाविक है। प्रार्थीया ने जानबूझकर अपील पेश करने में कोई देरी नहीं की है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अंदर म्याद शुमार करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना–पत्र की बहस में बतलाया कि प्रार्थीया द्वारा उक्त अपील अत्यंत विलम्ब लगभग 23 वर्ष पश्चात् पेश की है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थीया के पिता के फौत होने पर विरासत के अधिकार अपीलार्थीया को प्राप्त हुए लेकिन तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा तथा पटवारी हल्का बोयल ने मृतक खातेदार मांगीलाल के विधिक वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर मांगीलाल को लाआलौद फौत बताकर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित कर दिया जबकि अपीलार्थीया मांगीलाल की जायंदा पुत्री है। अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के पश्चात् एक और नामान्तरकरण संख्या 2195 दिनांक 22.11.2014 को सरपंच ग्राम पंचायत बोयल द्वारा प्रेमीदेवी के वारिसानों के पक्ष में भरा गया, जिसकी अपील अपीलार्थीया ने न्यायालय सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर में की। अपीलार्थी के अपील न्यायालय द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:23 IST
Reason: SelfAttested

16.04.2018 को स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिमाण्ड कर दिया। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त आदेश की द्वितीय अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के आदेश को यथावत् रखा गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीया मांगीलाल की जायंदा पुत्री है। बहस के अंत में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थीया अपने ससुराल में रहती है, जिसका विवादित भूमि पर कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिससे किसी का हक व अधिकार तय नहीं होता है। अपीलार्थीया को अपना हक व हिस्सा राजस्व वाद के जरिये ही हासिल करने की कार्यवाही करनी चाहिये। अन्त में अपीलार्थीया की अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि उसे सर्वप्रथम जानकारी 20.07.2015 को हुई, जब वह अपने खेत में सूड़ कर रही थी तो अप्रार्थी नरपत व रामरख ने बतलाया कि उक्त जमीन हमारे नाम पर है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र की बहस में बतलाया कि प्रार्थीया द्वारा उक्त अपील लगभग 23 वर्ष पश्चात् अत्यंत विलम्ब से पेश की गई है जो म्याद बाहर है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित हैं कि प्रार्थीया स्वर्गीय मांगीलाल की जायंदा पुत्री है तथा इसके हित प्रभावित होते हैं। प्रार्थीया द्वारा अपील पेश करने में जो देरी के कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी को न्यागत होगी। प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृतक का

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:23 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र, पूर्व मृतक की पुत्री, पूर्व मृतक पुत्र की पुत्री, उनकी विधवा व अन्य दर्शाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीया प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। द्वितीयतः अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय मांगीलाल को लाऔलाद फौत बताकर उसकी माता प्रेमीदेवी के नाम स्वीकृत कर लिया गया जबकि स्व0 मांगीलाल की अपीलार्थीया प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मृतक मांगीलाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है तथा स्व0 मांगीलाल की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी भी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 940 मौजा बोयल जो दिनांक 21.05.1992 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार पीपाड़ शहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 मांगीलाल के प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ भेजा जावे।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:23 IST
Reason: SelfAttested